"प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के संदर्भ में निगमीय क्षेत्र का उत्तरदायित्व"

*संजय कुमार

शोध सारांश

भारतीय कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अनुसार निगमीय क्षेत्र को औसत लाभो का 2% अनिवार्य रूप से सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में व्यय करना होगा। यह व्यय गरीबी दूर करने, स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग समानता, वरिष्ट नागरिक सहायता, समाज के अति पिछडा वर्ग का उत्थान, पर्यावरण संरक्षण, पशुधन संरक्षण, राष्ट्रीय पुरातत्व व संस्कृति बचाव, खेल, प्रधानमंत्री राहत कोष में दान तथा केन्द्र व राज्य सरकार की शिक्षण संस्थाओं में व्यय कर सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करेगी।

कम्पनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार सभी कम्पनियों को सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करने सबंधी व्यय का अपने प्रतिवेदन में निर्धारित प्रारूप में प्रकट करना आवश्यक है।

निगम क्षेत्र द्वारा उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा का उत्पादन पर्यावरण प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। वर्तमान में ऊर्जा प्राप्ति के लिये परम्परागत ऊर्जा स्रोतों कोयला कच्चा तेल, यूरेनियम, तथा प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। यह सभी जीवाश्म ईंधन है। जो सीमित मात्रा में है। ऊर्जा कृषि, उद्योग, चिकित्सा, परिवहन, वाणिज्य तथा घरेलू उपयोग में उपभोग की जाती है। जीवाश्म ईंधन पृथ्वी के विभिन्न परिदृश्यों में 300 मिलियन वर्ष पूर्व के है। यह स्रोत मुख्य रूप से कार्बन से बने है। इनके दोहन से कार्बन के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है।

भारत में कुल ऊर्जा का 56% कोयले से, 32% पेट्रोलियम तथा शेष हाइड्रो इलैक्ट्रीक, नाभिकीय तथा प्राकृतिक गैस से प्राप्त होती है।

भारत में 70% ऊर्जा कोयला से प्राप्त होती है। इसमें कार्बन की मात्रा पर्याप्त होती है। लिग्नाइट कोयला में 60–70 प्रतिशत, उपबिटुमिनस में 75–83 प्रतिशत, बिटुमिनस कोयला में 78–90 प्रतिशत एवं एंथ्रेसाइट में 92–98 प्रतिशत, तक कार्बन होता है। उत्पादन का 65 प्रतिशत कोयला विद्यत उत्पादन तथा शेष औद्योगिक एवं अन्य उपयोग में आता है। थर्मल पावर प्लांट में विद्युत उत्पादन में प्राकृतिक ईंधन स्रोतों के उपयोग से वायु, व जल प्रदूषण होता है। इसके उपयोग से कार्बनडाई ऑक्साइड द्वारा पर्यावरण प्रदूषण होता है। कोयला उत्पादन एवं उपयोग के मध्य परिवहन लागत उत्पादन व सेवाओं की लागत बढने से इसका वित्तिय भार समाज को ही वहन करना पडता है।

कच्चा पैट्रोलियम भण्डार OPEC देशों के समूह के पास है। भारत में पैट्रोलियम का उत्पादन सीमित एवं उपभोग ज्यादा होने के कारण आयात अधिक करना पडता है। अत्यधिक आयात लागत भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक बडा वित्तिय भार है। जो अन्य विकास के विक्ल्पों को अवरूद्व करता है। भारतीय जनसख्ंया विश्व में द्वितीय स्थान पर होने के कारण पैट्रोलियम पद्वार्थों का दोहन अत्यधिक मात्रा में होने से ध्वनि व वायु प्रदूषण अत्यधिक होता है।

प्राकृतिक गैस जीवाशम ईंधन के रूप में प्रकृति की भेंट है। इसमें 96 प्रतिशत मिथेन एवं शेष प्रोपेन व इथेन है। यह प्रदूषण रहित शुद्व ईंधन है। लेकिन मजबूत यातायात व्यवस्था व संचय के अभाव में प्रतिदिन 17 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस न्ष्ट हो जाती है। इसका उपयोग अम्लीय वर्ष का कारण है। जो जल प्रदूषण को बढाता है।

परम्परागत ऊर्जा स्रोत में लकडी को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत में 50 प्रतिशत जनसख्या घरेलू उपयोग में लकडी का उपयोग करती है। इससे वायु प्रदूषण, वृक्षों की कटाई, मृदा संरक्षण तथा पशुधन में कमी संबंधी समस्याएं आती है।

पन बिजली जल के प्रवाह से बनाई जाती है। इसके लिये बांधो का निर्माण किया जाना आवश्यक है। बांध निर्माण में वित्तिय संसाधनों का उपयोग, पशुओं एवं स्थानीय जन–जातियों का पलायन संबंधी समस्याएं आती है। आणविक ऊर्जा स्रोत उपयोग में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम दुलर्भ होने के कारण इस विकल्प का सीमित उपयोग है। इसके अवशिष्ट को समाप्त करना एक कठिन चुनौती है।

परम्परागत ऊर्जा स्रोत के उपयोग से भारत में वायु, जल, ध्वनि तथा मृदा प्रदूषण संबंधी समस्याएं उन्पन्न हुई है। भारत में वायु प्रदूषण की स्थितिः

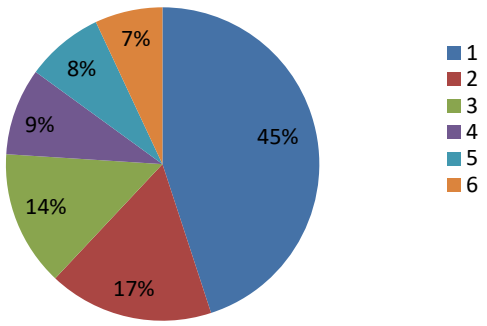

1. धूल व निर्माण
2. अवशिष्ट को नष्ट करना/जलाना
3. परिवहन
4. डीजल जनरेटर
5. उद्योग
6. घरेलू उपयोग

भारत में वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव के कारण निम्नलिखित बीमारियां एक बढी समस्या उत्पन्न करती हैः–

List of Global Burden of Disease

1. Acute respiratory infections (ARI)
2. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
3. Lung Cancer (LC)
4. Tuberculosis (TB)
5. Asthma
6. Blindness Burden to indoor air Pollution
7. Heart disease
8. Adverse Pregnancy

उक्त सूची में 4–6 प्रतिशत बीमारिया आन्तरिक वायु प्रदूषण के कारण होती है।

Impact of Air Pollution on Disease

Disease	Death	NBD	NBD
ARI Under 5year children	13%	11%	24%
COPD in women	1.5%	0.9%	1.8%
Lung cancer in Women	0.4%	0.1%	0.1%
Blindness in Women	0%	1%	2%
T B in Women	8%	5%	5.5%
Asthma	0.2%	0.5%	0%
Adverse pregnancy outcomes	6%	7.5%	20 Children under 5 Year
Heart disease in Women	17%	5%	7.3%

भारत में परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा अम्लीय वर्षा के कारण पर्यावरण को भारी मूल्य चुकाना पडता है। भारत के कई मुख्य शहरों में वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण के कारण केंसर हृदय तथा सांस में तकलीफ एवं विभिन्न बीमारियां उत्पन्न होती है। इन समस्याओं के निराकरण के लिये निगम जगत को कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार अपने शुद्व लाभों का 2% सामाजिक सेवा कार्यों में विनियोजित कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना चाहिए। सरकार को परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कम करते हुये नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों जिसमें सोलर, वायु शक्ति, भूतापीय, तंरग, ज्वारीय ऊर्जा तथा बायोमास ऊर्जा संबंधी विकल्पों का विस्तार करना चाहिए।

Source wise Power Installed Capacity as on 31.12.16

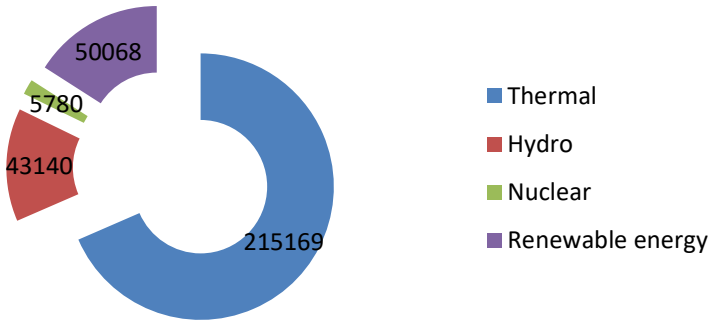

उक्त आंकडे GW में है।

सरकार सोलर ऊर्जा की स्थापना के लिये औद्योगिक क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। भारत में सूर्य ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इसकी संभावनाये अत्यधिक है। भौगोलिक दृष्टि से भारत की स्थिति सूर्य ऊर्जा के मध्य में स्थित होने के कारण सूर्य की किरणे सीधी पडती है। जो प्रदूषण रहित सोलर ऊर्जा पैनल

की स्थापना एवं उपयोग के लिये सर्वश्रेष्ट है। भारत की तटीय भौगोलिक स्थिति में तेज वायु प्रवाह के कारण वायु ऊर्जा का उपयोग किया जाना चाहिये। भारतीय तटीय क्षेत्रों में समुद्र की तापीय तरंग एवं ज्वारीय ऊर्जा का निर्माण किया जाना संभव है। इन विकल्पों के लिये निगम जगत को विभिन्न छूटे प्रदान कर इन्हे सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह के लिये प्रेरित करना चाहिए।

*व्याख्याता
ए.बी.एस.टी. विभाग,
आर.एल. सहरिया राजकीय स्नाकोत्तर
महाविद्यालय, कालाडेरा, जयपुर

संदर्भ सूची

1. कम्पनी एक्ट संशोधित 2013
2. लेखांकन सिद्वान्त एवं व्यवहार – जैन खण्डेलवाल पारीक
3. उच्चत्तर लेखांकन–एम. सी. खण्डेलवाल
4. Corporate Social Responsibility Policy Rules 2014
5. PNAS-Kirk R. Smith Report
6. Annual Report 2016-17